तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-6-26	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक । अभिभाषक/अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। —— **आदेश** 1— यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निदेशक, भू अभिलेख, राजस्व मंडल अजमेर ने अभिशंषा दिनांक 15—11—06 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम अलवर नं० 2 के आराजी खसरा नम्बर 3375 रकबा 5 बिस्वा भौरेलाल, अमरनाथ, योगेशचन्द्र, सत्यनारायण पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/8, मांगीलाल पुत्र कुन्दनलाल हिस्सा 1/8, पन्नालाल पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/8, गिरधर गोपाल विष्णुदत्त, पंकजकुमार पुत्र रामस्वरूप मु० सरस्वती हिस्सा 1/8, मदनबिहारी, प्रकाशचन्द्र, श्री नारायण हिस्सा 1/4, जगदीश, मदनमोहन, आनन्दी लाल 1/4 कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदारी दर्ज थी जिसे सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी ने नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 28.2.94 के द्वारा मांगीलाल पुत्र किशन लाल जाति ब्राह्मण के नाम कब्जा काश्त के आधार पर तस्दीक किया है जो नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने हेतु न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर ने निर्णय दिनांक 9—4—97 से निदेशक (भू अभिलेख) राजस्व मंडल अजमेर को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् निदेशक (भू अभिलेख) राजस्व मंडल अजमेर ने अपनी अभिशंषा दिनांक 15—11—06 से प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को प्रेषित किया गया। 3— विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व में संयुक्त खाते में दर्ज थी तथा आपसी सहमति बंटवारे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 28—2—94 से मांगीलाल पुत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किशनलाल खातेदार के नाम तस्दीक किया गया जो भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 17 के तहत उक्त हस्तांतरण अवैध है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित नामांतरकरण संख्या 104 निरस्त किया जावे। 4— विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। 5— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम अलवर नं० 2 के आराजी खतरा नम्बर 3375 रकबा 5 बित्वा भौरेलाल, अमरनाथ, योगेशचन्द्र, सत्यनारायण पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/8, मांगीलाल पुत्र कुन्दनलाल हिस्सा 1/8, पन्नालाल पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/8, गिरधर गोपाल विष्णुदत्त, पंकजकुमार पुत्र रामस्वरूप मु० सरस्वती हिस्सा 1/8, मदनबिहारी, प्रकाशचन्द्र, श्री नारायण हिस्सा 1/4, जगदीश, मदनमोहन, आनन्दी लाल 1/4 कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदारी दर्ज थी। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर ने विवादित आराजी खसरा नं0 3375 रकबा 5 बिस्वा जो पूर्व में संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होना स्पष्ट है, को आपसी सहमति/बयान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 28.2.94 द्वारा मांगीलाल पुत्र किशन लाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम नियम विरूद्ध तस्दीक किया गया है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत 100/— रूपये से अधिक चल अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण का पंजीकरण अनिवार्य है। विवादित आराजी के पंजीकरण के अभाव में उक्त हस्तान्तरण वैध नहीं माना जा सकता। आपसी सहमति/बयान के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 104 पूर्णतया अवैध एवं नियमों के विरूद्ध है तथा इस प्रकार की कार्यवाही से राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क की हानि हुई है। कब्जे काश्त व आपसी सहमति के आधार पर भूमि के स्वामित्व का हस्तान्तरण के अधिकार भू प्रबंध विभाग को नहीं है। राजस्व अभिलेख में विवादग्रस्त आराजी के सहखातेदार कृषकों में से मांगीलाल सहकृषक था तथा विवादित भूमि मांगीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का कोई वैधानिक आधार हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा उक्त कथित कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के परे जाकर की है। ऐसी स्थिति में सहायक भू	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा नियम विरूद्ध विवादित आराजी का नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 28–2–94 मांगीलाल के नाम नियम विरूद्ध स्वीकृत किये जाने से निरस्त योग्य है। 6– अतः हस्तगत् रेफरेंस स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 3375 रकबा 5 बिस्वा भूमि बाबत् सहायक भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 104 दिनांक 28–2–94 (इंद्राज परिवर्तन) नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	